न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/200

रामदेवा आयु 50 वर्ष आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी बहादुरपुरा पटवार हल्का गुढाबांध तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. देवलाल आयु 28 वर्ष आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी बहादरपुरा पटवार हल्का गुढाबांध तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नन्दा आत्मज कंवरा जाति गुर्जर निवासी बहादुरपुरा पटवार हल्का गुढाबांध तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मोती आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी बहादुरपुरा पटवार हल्का गुढाबांध तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. दुर्गा लाल आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी बहादुरपुरा पटवार हल्का गुढाबांध तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. लोडकी पत्नी कजोड जाति गुर्जर निवासी बहादुरपुरा पटवार हल्का गुढाबांध तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 07.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 एवं कजोडी विधवा जगन्नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी कुल 08 किता

की 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि एवं ग्राम सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 03 किता की रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बहादुरपुरा तहसील हिण्डोली पर वादीगण देवलाल व कजोडी को 1/4 हिस्से का, वादी नन्दा को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी लोडकी बाई को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर दर्ज किया जावे । प्रतिवादी कल्याण का नाम खातेदार के स्थान से विलोपित किया जावे । कुआ खसरा नम्बर 116 ग्राम बहादुरपुरा पर भी वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। आराजी खसरा नम्बर 115, 98, 99, 100, 105, 106, 101 एवं 139 के बाबत् प्रतिवादी कल्याण द्वारा प्रतिवादी रामेदवा एवं मोती के पक्ष में निष्पादित बख्शीसनामा व हकत्याग पत्र दिनांक 05.06.2013 के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जावे । प्रतिवादी रामदेवा, कल्याण व मोती को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जवे कि वे वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के बाबत् रहन, बेचान व भार प्रलेख निष्पादित नहीं करें तथा उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश नहीं किया था और जवाबदावा लिये बिना ही उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री जारी कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि दिनांक 03.07.2015 को मांगली कला कैम्प कोर्ट में पीठसीन अधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर पेशी चस्पा करने के बाबत् दिये गये आश्वासन के बाद अपीलान्ट अपने अभिभाषक के पास दिनांक 10.10.2015 को गया लेकिन वकील साहब द्वारा बताया गया कि अभी तक पेशियों की सूची चस्पा नहीं की गई है और पेशियों की सूची चस्पा होने के उपरान्त सूचित कर दिया जावेगा लेकिन इसके बाद अपीलान्ट की वयस्क पुत्री की मृत्यु हो गयी और पुत्री की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ गया और अपने उक्त मुकदमे के बारे में जानकारी नहीं ले पाया और न ही अपने वकील साहब से मिल पाया । दिनांक 08.03.2018 को रेस्पोडेन्ट देवलाल द्वारा मौके पर आकर अपीलान्ट को धमकी दी कि न्यायालय से फैसला मेरे हक में हो गया है मैं अब जमीन पर कब्जा करूँगा तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई

है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत में बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय पारित किया गया है । तामील होने के बाद प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 की ओर से वकलतनामा पेश किया गया । दिनांक 07.02.2014 को प्रतिवादी क्रम 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई । अपीलान्ट द्वारा लोक अदालत में जवाबदावा लेकर साक्ष्य लेकर निर्णय करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । इस प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बिना जवाबदावा लिये बिना दिनांक 07.07.2015 को निर्णय पारित किया गया है । इस निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री लोक अदालत में जारी की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब में लम्बित थी और दिनांक 03.07.2015 की आदेशिका के अनुसार इसमें बहस सुनी गई और दिनांक 07.07.2015 को लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में न तो पक्षकार उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । दिनांक 07.07.2015 को अपीलान्ट रामदेवा के द्वारा जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रकरण में अभी प्रतिवादीगण का जवाबदावा पेश नहीं हुआ है । प्रतिवादी का जवाबदावा पेश होने के बाद साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित किये बिना उसी दिन लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से

निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात कायम कर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा